सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 120/2016 **दायर तारीख :– 21.12.2016**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. ज्ञान कवंर पत्नि स्व0 श्री इन्द्र सिंह
2. भवानी सिंह पुत्र इन्द्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार

श्री राधेश्याम रावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि पटवार हल्का लुहाकना कलां के खसरा नंबर 889 रकबा 0.84 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2069–72 है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में से 0.02 हैक्टेयर पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 फर्द मौका दिनांक 21.11.2016, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2073 आदि पेश कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के प्रस्तुत जवाब प्रार्थना में कथन रहे कि प्रतिवादीगण भूमि के रूपातंरण/संपरिवर्तन हेतु तैयार है और प्रतिवादीगण के द्वारा तहसीलदार विराटनगर से चालान जारी कराकर भूमि के संपरिवर्तन/नियमन बाबत देय राजस्व हानि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। तथा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 13 खातेदार को बिना संपरिवर्तन कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करने पर मय शास्ती संपरिवर्तन राशि जमा कराने पर ऐसे उपयोग को नियमित कराने का अधिकार प्रदान करती है। मोबाइल टॉवर जनउपयोगी सेवा है, जो कि औधोगिक प्रयोजन की श्रेणी में आता है। एवं एक एकड भूमि तक का उपयोग लघू, छोटी इन्डस्ट्री इकाई कबाजा, औधोगिक प्रयोजन, चिकित्सय प्रयोजन और जनउपयोगी सेवाओं के लिए भूमि संपरिवर्तन का आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। एवं न ही एक एकड तक की भूमि के लिए किसी प्रकार का संपरिवर्तन शुल्क अदा करने की जरूरत है। एवं राज्य सरकार के द्वारा राज्य में औधोगिक व जन उपयोगी सेवाओं को बढावा देने के प्रयोजन से संपरिवर्तन नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है। .

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2069–2072 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 889 रकबा 0.84 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर खसरा नंबर 889 रकबा 0.84 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, बल्कि मोबाईल टॉवर स्थापित कर रखा है। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। [illegible] टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में [illegible] के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है [illegible] कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम लुहाकना कला के खसरा नंबर 889 रकबा 0.84 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18.07.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:45:27 IST
Reason: SelfAttested